# न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

**प्रकरण संख्या Bsw-D 53/2016 श्री तोलमा उर्फ तोलीया बनाम मांगीलाल**

| तारीख हुक्म | हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 17–07–2018 | वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा समायतशुदा बहस व पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण दिनांक 4–4–2016 को दर्ज होकर दिनांक 13–6–2016 की पेशी रखी गई, परन्तु दिनांक 13–6–2016 के स्थान पर बिना कारण पत्रावली को 4–7–2016 को लोक अदालत में रखा गया तथा प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय पारित कर दिया गया :–<br>**"4–7–16 – न्याय आपके द्वारा 2016 कैम्प कुशलगढ़ पत्रावली आज मजमेंआम में पेश हुई। भूमि पर वादी प्रतिवादी बंटवारा– नामा के अनुसार बेठे हुए है। पुनः पटवार हल्का को निर्देश दिये जाते है कि मौके पर जाकर रेकार्ड की अनुसार सीमा जानकारी करावे। तद्नुसार पुनः डिक्री जारी हो। निर्णय मजमे आम में सुनाया गया"**।<br>अधिनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय अपीलान्ट को सूचित किये बिना, सुने बिना, राजीनामा हुए बिना पारित किया गया। अत्यन्त अस्पष्ट एवं बेहुदा निर्णय है। आश्चर्यजनक रूप से अधिनस्थ न्यायालय के उक्त प्रकरण संख्या 10/2016 में किये गये विचित्र निर्णय के अनुसरण में डिक्री जो जारी की गई है, उसमें प्रकरण संख्या 10/2016 के साथ प्रकरण संख्या 4/2014 की भी डिक्री अकारण जारी कर दी है। अधिनस्थ न्यायालय का उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय, विधिक प्रक्रिया के विरूद्ध होकर पक्षकारान व न्यायालय के श्रम, धन व समय की बर्बादी है।<br>अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 4–7–2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर विधिक निर्णय पारित करें।<br>पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 17–07–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>(एल.एन. मंत्री )<br>**भू–प्रबन्ध अधिकारी<br>एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी<br>उदयपुर** | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

**प्रकरण संख्या Bsw-D 53/2016 श्री तोलमा उर्फ तोलीया बनाम मांगीलाल**

# डिगरी व सीगे अपील

( ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ............... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** .............मुकाम ..............
**उदयपुर** व इजलास ........... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .......................................

श्री गणेश लाल नागदा पिता श्री कालूलाल नादा निवासी पुला शोभागपुरा रोड़ पटवार मण्डल के पास शोभागपुा स्कूल के सामने तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

**बनाम**

श्री भंवर लाल पिता श्री तेजपाल कटारिया निवासी 343 भोपालपुरा उदयपुर (राज0) अन्य 10 व सरकार

अपील नं0 84/2012 बनाराजगी डिगरी अदालत ........... सहायक कलक्टर मु0...... ........ उदयपुर ............... मुकाम मुर्क्खे..........27............. माह ............02.......... 1993

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख ...... 15..... माह ......06.......... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री सत्य प्रकाश व्यास ....... मिनजानिब अपीलान्ट व ........श्री संजय बोहरा .... . ......... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अतः अपील अपीलान्ट दूषित (Defectiv) होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–2–1993 यथावत रखा जाता है।

( खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .................... X ...................... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........15..... माह ...06........ 2016 को जारी किया गया।

**(एल.एन.मंत्री )**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेसपोन्डेन्ट | रू0 | रू0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ................ | | | | | |
| 2. स्टाम्प वकालत नामा....... | | | | | |
| 3. इजराय हुक्मनामा ............ | | | | | |
| 4. वकील फीस बाबत ......... | | | | | |
| मीजान ........... | | | | | |
| . | | | | | |

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

**प्रकरण संख्या Bsw-D 53/2016 श्री तोलमा उर्फ तोलीया बनाम मांगीलाल**

# डिगरी व सीगे अपील

( ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ................ **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** .............मुकाम ..............
**उदयपुर** व इजलास ........... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ........................................

श्री गांगा पिता देवा डांगी
निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा
जिला उदयपुर (राज0)
अन्य –2

**बनाम**

श्री भंवर लाल पिता श्री कालूलाल
निवासी गांव खेड़ी तहसील गिर्वा
जिला उदयपुर (राज0)
अन्य–6

अपील मूत नं0 3/2015 बनाराजगी डिगरी अदालत ............भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी ......उदयपुर ....... मुकाम मुर्क्खे...........08.............. माह .............07........... 2015

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख ...... 25..... माह ......05.......... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री मन्नाराम डांगी ....... मिनजानिब अपीलान्ट व ........श्री ....................................... ......... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि ........................ प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा आवेदन दफा–152 जाब्ता दीवानी का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अन्तर्गत प्रकरण संख्या 46/2004 निर्णय दिनांक 8–7–2010 में अंकित आराजी नं0 3261 रकबा 0. 800 हैक्टर लिपिकीय/टंकण त्रुटि से गलत अंकित हो गया है। इसके स्थान पर आराजी नंबर 3231 रकबा 0.0800 हैक्टर अंकित किया जावे।

( खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..................... X ...................... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........14..... माह ...06....... 2016 को जारी किया गया।

**(एल.एन.मंत्री )**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेसपोन्डेन्ट | रू0 | रू0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. स्टाम्प अपील ................<br>6. स्टाम्प वकालत नामा.......<br>7. इजराय हुक्मनामा .............<br>8. वकील फीस बाबत .........<br>मीजान ...........<br>. | | | | | |

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।